



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2073]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 8, 2009/अग्रहायण 17, 1931

No. 2073]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 8, 2009/AGRAHAYANA 17, 1931

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2009

(आयकर)

का.आ. 3155(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (39) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित को उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है :—

- (क) व्यक्ति के रूप में आयोजन समिति राष्ट्र मंडल खेल, 2010 दिल्ली, भारत;
- (ख) राष्ट्र मंडल खेल, 2010 दिल्ली, भारत को आयोजित करने से आयोजन समिति राष्ट्र मंडल खेल, 2010 दिल्ली, भारत को उद्भूत होने वाली विहित आय के रूप में निम्नलिखित आय :—
 - (i) अन्तर्राष्ट्रीय प्रसारण से प्राप्ति उद्भूत होने वाली आय — एक सौ ब्यासी करोड़ रुपए (दो सौ साठ करोड़ रुपए का सत्तर प्रतिशत);
 - (ii) घरेलू प्रसारण से प्राप्ति से उद्भूत होने वाली आय — छ्यासठ करोड़ रुपए (एक सौ दस करोड़ रुपए का साठ प्रतिशत);
 - (iii) प्रायोजकता की प्राप्ति से उद्भूत होने वाली आय — नौ सौ साठ करोड़ रुपए;
 - (iv) टिकट की प्राप्ति से उद्भूत होने वाली आय — सौ करोड़ रुपए;
 - (v) लाईसेंसशुदा पण्य की प्राप्ति से उद्भूत होने वाली आय — पचास करोड़ रुपए;
 - (vi) सौ करोड़ रुपए के दान से आय ।